



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

प.११
भीम

क्रमांक:- प० 6(63)राज-3/2021

जयपुर दिनांक:- 12/07/21

जिला कलेक्टर,
जयपुर।

विषय:- ग्राम मनोहरपुर से ईटावा भोपजी वाया नवलपुरा वारणवासा के चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु वन भूमि का गैर वन भूमि से प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3554 दिनांक 24.06.2021 के कम में।

नहोदय

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में आपके प्रस्तावानुसार विभागीय समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 09.04.2021 को संशोधित करते हुये ग्राम मनोहरपुर से ईटावा भोपजी वाया नवलपुरा वारणवासा के चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु काम में आने वाली ग्राम मामटोरी खुर्द रकबा 0.2790 हेक्टर एवं मामटोरी कलां रकबा 1.1655 हैक्टर, कुल रकबा 1.4445 हैक्टर, वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम विशनगढ तह0 शाहपुरा के आ.ख.न. 1145 रकबा 9.01 हैक्टर, विस्म गै.मु. पहाड मे से 1.4450 हेक्टर भूमि प्रत्यावर्तन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत किये जाने की आवश्यकता स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(कमलेश आरुसुरिया)
शासन उप सचिव